नोटः हडको ने दिनांक 01.07.2019 से सार्वजनिक जमा का स्वीकरण/नवीकरण बंद कर दिया था। तथापि, वर्तमान जमा धारकों के संदर्भ हेतु सूचना/दस्तावेज उपलब्ध हैं।

सामान्य अनुदेश

निवासी/अनिवासी (अप्रत्यावर्तन आधार पर) व्यक्ति, संरक्षक के माध्यम से नाबालिग, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), न्यास, सहकारी समितियां, देशी कंपनियां।

कर लाभ

- हडको की सार्वजनिक जमा योजना, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी (2)(xvi)(a) के तहत पात्र है। तदनुसार, हडको की सार्वजनिक जमा योजना के तहत 5 वर्ष की न्यूनतम लॉकिंग अवधि की सभी जमाराशियां सकल कुल आय से 1,50,000/-रु. तक की छूट प्राप्ति के लिए पात्र होंगी।
- उपर्युक्त कर लाभ केवल व्यक्तियों तथा एचयूएफ निवेशकों के लिए है।

सामान्य

- सभी नए जमाकर्ता जमाराशि प्रस्तुत करते समय उचित परिचय उपलब्ध कराएंगे, परिचय वर्तमान जमाकर्ता अथवा आयकर स्थायी खाता संख्या, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट या राशन कार्ड में किसी एक के आधार पर दिया जा सकता है।
- ब्याज निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात 50 पैसे तक की उपेक्षा की जाएगी अर्थात विचार नहीं किया जाएगा। ब्याज और जमा राशि का भुगतान प्रथम जमाकर्ता के पक्ष में आहरित नामित बैंक की सभी शाखाओं के सममूल्य पर देय रेखांकित अकाउंट पेयी चैक द्वारा किया जाएगा।
- जमा पर मिलने वाला ब्याज परिपक्वता तिथि को बंद हो जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई जमाराशि 15 अक्टूबर 2013 को परिपक्व हो रही है, तब 15 अक्टूबर 2013 के पश्चात इस पर ब्याज अर्जित नहीं होगा। यदि एफडी का नवीकरण नहीं कराया जाता है और उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब ब्याज केवल तभी अर्जित होगा यदि जमा का नवीकरण उसकी समापन तिथि को प्रचलित शर्तो के अनुसार किया गया है।
- यदि भुगतान योग्य ब्याज की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5000/- रु. से अधिक हो जाती है, तब आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के अनुसार, ब्याज से आयकर की स्रोत पर कटौती की जाएगी। संचयी विकल्प में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को प्रतिवर्ष ब्याज अर्जित माना जाएगा तथा कर की कटौती के उपरांत ब्याज की गणना तब तक की जाएगी जब तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आयकर नियमावली (कंपनी व फर्म को छोड़कर) के अधीन यथा निर्धारित फार्म 15जी/15एच दो प्रतियों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक हडको को प्रस्तुत न कर दिया जाए। तथापि, गैर-संचयी विकल्प की स्थिति में, फार्म 15जी/15एच आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक हडको को जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 197 के अंतर्गत संबंधित न्यास के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत आदेश की प्रति जारी की गई है, तब न्यास के मामले में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी । यदि न्यास को उपरोक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है, तब इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष को 15 मार्च तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फार्म 15जी/15एच केवल जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अन्य विविध प्रावधान

- अव्यस्क(ओं) से जमाराशि उनके प्राकृतिक/विधि द्वारा मान्य संरक्षकों के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी, बशर्ते उनकी ओर से आवेदन फार्म पर उनके प्राकृतिक/विधि द्वारा मान्य संरक्षकों के हस्ताक्षर हो।
- यदि किसी भुगतान की देय तिथि रविवार, बैंक अवकाश अथवा किसी अन्य दिन हो जिसको कार्यालय बंद रहते हैं, तब अगले कार्यदिवस को अतिरिक्त ब्याज के बिना भुगतान किया जाएगा।
- रेगुलर प्लस के मामले में अमुक महीने के आंशिक भाग के लिए ब्याज का भुगतान आगामी मास के लिए ब्याज सहित किया जाएगा। रेगुलर प्लस योजना के लिए, अर्ध वर्ष 31 मार्च तथा 30 सितंबर को समाप्त माना जाएगा। वार्षिक विकल्प के लिए, प्रथम वर्ष अगले 31 मार्च को समाप्त होगा और देय शेष ब्याज अंतिम परिपक्वता अवधि में समायोजित किया जाएगा। तिमाही विकल्प 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त माना जाएगा। विभिन्न विकल्पों (त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक) के लिए ब्याज के चैक वित्तीय वर्ष के आधार पर अग्रिम के तौर पर भेजे जाएंगे अर्थात यथा लागू कर की कटौती करने के उपरांत प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक।
- किसी एक योजना के तहत जमाराशि स्वीकार करने के उपरांत उसे किसी भी परिस्थिति में उस जमा की अवधि की समाप्ति से पहले इंटरचेंज/विभाजित/हस्तांतरित/अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।
- जमाराशि स्वीकरण की उपरोक्त शर्तें केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों के अधीन हैं।
- आयकर कटौती के उद्देश्य हेतु संचयी जमाराशि के मामले में, ब्याज प्रति वर्ष अर्जित माना जाएगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज पर कर की कटौती की जाएगी।
- जमाराशि के भुगतान में कंपनी की ओर से यदि कोई कमी पाई जाती है, तब जमाकर्ता राहत अथवा समाधान के लिए जमाकर्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच अथवा जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच से संपर्क कर सकता है।

- आवेदन फार्म में कंपनी की यथा प्रकटित वित्तीय स्थिति तथा प्रतिवेदन सत्य एवं सही है और कंपनी तथा इसके निदेशक इनकी औचित्य एवं सत्यता के लिए उत्तरदायी हैं।
- कंपनी की जमाराशि स्वीकरण से संबंधित गतिविधियां एनएचबी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तथापि, यह स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि एनएचबी कंपनी की सुदृढ़ता अथवा उसके किसी भी कथन अथवा प्रतिवेदन या अभिमत के साथ-साथ आवास वित्त कंपनी द्वारा जमाराशि की चुकौती/दायित्वों के निर्वहन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

जमाराशि की चुकौती

मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए जमा की विधिवत जारी रसीद देय तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पहले परिपक्वता की तारीख तक कंपनी कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।

जमा की अदायगी नामित बैंक की सभी शाखाओं में अपेक्षित मूल्य की रसीदी टिकट लगाकर जमाराशि की रसीद प्रस्तुत करने पर अकाउंट पेयी सम -मूल्यांकित देय चेक के माध्यम से की जाएगी।

संयुक्त जमा

संयुक्त जमा अधिकतम तीन व्यक्तियों के संयुक्त नाम से प्रस्तुत की जा सकती है। संयुक्त नाम से जमा उसके किसी भी खंड या खंड रहित होगी अर्थातः

क. कोई एक अथवा उत्तरजीव

ख. नंबर एक या उत्तरजीवी

ग. कोई भी या उत्तरजीवी

सभी संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम और पते जमाकर्ताओं के खाता बही और रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

स्रोत पर कर की कटौती के उद्देश्य से प्रथम नामित जमाकर्ता को संयुक्त नाम से जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा;संचयी जमा के मामले में इसे अर्जित माना जाएगा और उसके द्वारा दिए गए निर्वहन पर संयुक्त धारक (ओं) पर बाध्यकारी होगा ।

प्रथम नामित जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और संचयी जमा के मामले में जमाकर्ता को प्रथम नामित जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन में दिए गए उत्तरजीवियों के क्रम में ब्याज अर्जित माना जाएगा।

जमा की चुकौती जमाकर्ताओं द्वारा आवेदन में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। ऐसे व्यक्ति (ओं) द्वारा निर्वहन संयुक्त धारकों के लिए बाध्यकारी होगी।

नामांकन सुविधा

व्यक्तिगत जमाकर्ता, एकल या संयुक्त रूप से इस सुविधा के तहत नामांकन कर सकते हैं। नामिती को अपने सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु पर जमा राशि से संबंधित देय राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। नाबालिग की ओर से आवेदन करने वाला पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक अथवा अभिभावक नामांकित नहीं कर सकता है।

जमा पर ऋण

जमाकर्ता को सुलभ तरलता प्रदान करने के लिए, हडको सावधि जमा पर ऋण प्रदान करता है। आवेदक सावधि जमा पर केवल निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत ही ऋण ले सकता हैः

- हडको रेगुलर प्लसः आवधिक आय योजना
- हडको मल्टीप्लॉयर पल्सः संचयी आय योजना

योजना की विशेषताएं

- जमाकर्ता जमाराशि के 75 प्रतिशत तक (मूलधन और अर्जित ब्याज, यदि कोई है, को छोड़कर) ऋण लेने का हकदार है।
- जमाकर्ता इस सुविधा का लाभ जमा आरंभ होने की तिथि के 3 महीने बाद ही ले सकता है।
- जमा पर देय ब्याज से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जाएगा।
- हडको रेगुलर प्लस के जमाकर्ताः आवधिक आय योजना में जमाकर्ता को जारी सभी ब्याज वारंट जमा करने होते हैं और उसके बाद उसे कोई ब्याज वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे वारंट कंपनी के पास ही रहेंगे और परिपक्व होने पर इन्हें जमाकर्ता के ऋण खाते में भुगतान के रूप में जमा कर दिया जाएगा।
- ऋण की अवधि जमा की परिपक्वता तिथि तक होगी।
- जमाकर्ता किसी भी राशि का भुगतान कर सकता है और जमा की परिपक्वता से पहले ऋण समायोजित कर सकता है, तथापि, परिपक्वता तिथि को ऋण खाते में परिपक्वता राशि जमा की दी जाएगी और ऋण समायोजित किया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई है, जमाकर्ता को लौटा दी जाएगी।
- धारा 80सी के अधीन प्राप्त जमाराशियां जमा सुविधा पर ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।

आवदेन कैसे करें?

यह अत्यंत सरल है, जमाकर्ता को सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करनी होती है जिसके साथ हडको कार्यालयों में हडको के नाम एक वचन-पत्र भी देना होता है।

समयपूर्व आहरण

क. जमाराशि तथा प्रदत्त ब्याज के लिए समयपूर्व आहरण की अनुमति आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अधीन होगाः

i. न्यूनतम लॉकिंग अवधि - तीन महीने

ii. तीन महीने के बाद किंतु छह महीने से पहले - व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा तथा जमाकर्ताओं की अन्य श्रेणी के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

iii. छह महीने के बाद किंतु परिपक्वता तिथि से पूर्व- देय ब्याज उस अवधि के लिए सार्वजनिक जमा पर लागू ब्याज दर से एक प्रतिशत कम होगा जिस अवधि तक जमाराशि आहरित नही की गई है अथवा यदि उस अवधि के लिए यदि कोई दर विनिर्दिश्ट नहीं की गई है तब उस न्यनूतम दर से दो प्रतिशत कम होगा जिस पर हडको द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार की जाती हैं।

क. बशर्ते की जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी उपबंधों के अधीन संयुक्त जमा के मामले में उत्तरजीवी जमाकर्ताओं अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को ब्याज सहित पुनःभुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर (लागू) पर जमाराशि का समयपूर्व भुगतान किया जा सकता है।

ख. उस अवधि का निर्धारण करने के प्रयोजन से जहां जमाराशि की अवधि में वर्ष का कोई भाग शामिल है, तब यदि ऐसा भाग छह महीने से कम अवधि का है तब इस पर विचार नहीं किया जाएगा किंतु यदि यह अवधि छह महीने या उससे अधिक है, तब इसे एक वर्ष माना जाएगा।

आकस्मिक प्रकृति के कुछ खर्चों की पूर्ति हेतु जिसमें संबंधित सरकार/प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं/विपत्ति के कारण चिकित्सीय आपातकाल अथवा खर्च शामिल है

i. जमाकर्ता के अनुरोध पर व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को 'छोटी जमाराशियों' के स्वीकरण की तिथि से तीन महीने की समाप्ति से पूर्व बिना ब्याज के समयपूर्व भूगतान किया जा सकता है।

'छोटी जमा' का अर्थ आवास वित्त कंपनी की सभी शाखाओं में समान क्षमता में प्रथम एकल अथवा प्रथम नाम के जमाकर्ता के नाम 10,000/- रु. से कम की कुल राशि से है।

ii. अन्य सार्वजनिक जमाराशियों के मामले में, जमा के मूलधन के 50 प्रतिशत अथवा 5 लाख रु. जो भी कम हो, जमाकर्ताओं के अनुरोध पर ऐसी जमाराशि के स्वीकरण की तिथि से तीन महीने की समाप्ति से पहले व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को बिना ब्याज समयपूर्व भुगतान किया जा सकता है, अनुबंधित दर पर ब्याज सहित शेष राशि सार्वजनिक जमाओं के लिए यथा लागू मौजूदा निर्देशों के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित की जाएगी।

बशर्ते गंभीर बीमारी के मामलों में, जमाकर्ताओं के अनुरोध पर ऐसी जमा की स्वीकृति की तिथि से तीन महीने पूएर्ण होने से पहले बिना ब्याज के जमा के मूलधन का शत-प्रतिशत भुगतान व्यक्तिगत जमाकर्ता को समयपूर्व किया जा सकता है।

ख. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी (2)(xvi)(a) के अंतर्गत कर लाभ प्राप्ति हेतु समयपूर्व आहरण की शर्तेः-

i. धारा 80सी के तहत कर लाभ प्राप्त करने वाले जमाकर्ताओं के लिए पांच वर्ष की न्यूनतम लॉकिंग अवधि निश्चित की गई है और उपर्युक्त लॉकिंग अवधि से पूर्व ऐसे जमाकर्ताओं को समयपूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।
ii. दो या तीन व्यक्तियों द्वारा संयुक्त जमा की स्थिति में, केवल पहला जमाकर्ता ही धारा 80सी के तहत कर लाभ का पात्र होगा।

ग. आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुसार, समय से पूर्व आहरण हडको के विवेकानुसार किया जा सकता है।